सत्यमेव जयते

राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
साधिकार प्रकाशित	Published by Authority

आषाढ़ 06, शुक्रवार, *शाके* 1947- जून 27, 2025
Asadha 06, Friday, Saka 1947- June 27, 2025

भाग-7

विभिन्न विभागों में प्रदायों के लिए टेण्डर मांगने की सूचनाओं को सम्मिलित करते हुये सार्वजनिक और निजी विज्ञापन आदि।

राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड
कार्यालय सम्भागीय मुख्य अभियन्ता (प्र.एवं नि.). अजमेर
अधिसूचना

अजमेर, 05 जून 2025

D.368: भारतीय विद्युत अधिनियम 2003 अनु-164 एवं भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम 1885 (केन्द्रीय अधि. 13/1885) के तहत प्रदत्त शक्तियों के अन्तर्गत ऊर्जा विभाग राजस्थान सरकार की अधिसूचना दिनांक 28.2.2004 जिसे राजस्थान के राजपत्र में दिनांक 08.03.2004 को एस.ओ. 408 पृष्ठ 393 (13) भाग 4(जीए) तदोपरान्त राजस्थान सरकार द्वारा जारी संशधित अधिसूचना सं. एफ.15 (4) ऊर्जा/2017दिनांक 03.10.17 जिसे राजस्थान राजपत्र में दिनांक 09.10.2017 को प्रकाशित किया गया। जिसके अनुसार सम्भागीय मुख्य अभियन्ता (प्र. एवं. नि.) राराविप्रनिलि, अजमेर/जयपुर/जोधपुर को उनके अधिकार क्षेत्र में बिजली के प्रसारण के लिए या काम के उचित समन्वय के लिए आवश्यक टेलीफोनिक या टेलीग्राफिक संचार के उद्देश्य से बिजली की लाइनों या बिजली संयत्रों को खड़ा करने के लिए मार्ग-अधिकार अथार्त राइट ऑफ़ वे की उपयुक्त मंजूरी जारी करने हेतु अधिकृत किया गया है। अतः उक्त अधिनियम की प्रदत्त शक्तियों के अन्तर्गतअधोहस्ताक्षरित सक्षम अधिकारी द्वाराबिजली की आपूर्ति हेतु **132 केवि एकल परिपथिय जूझपुरा – बड़ी सादड़ी लाइन के लीलो बिंदु से 220 केवि ग्रिड सब स्टेशन कर साना हेतु 132 केवि द्विपरिपथिय लाइन के निर्माण कार्य हेतु मार्ग-अधिकार अथार्त राइट आफ वे** की उपयुक्त मंजूरी जारी करते है।

उक्त एकल परिपथलाईन अब निम्नलिखित गांवो की सीमा/राजस्व क्षेत्र के भीतर से गुजरेगी।

क्र.सं.	गांवोकेनाम	क्र.सं.	गांवोकेनाम
1	लोठियाना	5	छाजवी
2	करसाना	6	पराना
3	तलावदा	7	भोपुरा
4	डेलवास		

(लखपत लाल मीणा)
सम्भागीय मुख्य अभियन्ता (प्र.एवं नि) अजमेर

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।